

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 06.09.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 05.09.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01-थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा गैंगेस्टर ऐक्ट में वांछित 25000रू0 ईनामिया व टॉप-10 अभियुक्त को 01 देशी तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया.

दिनांक 05.09.2020 को थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना देखभाल क्षेत्र एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम गौरा के पास से थाना कोतवाली में पंजीकृत मु0अ0सं0-679/2018 धारा-3(1) गैंगेस्टर ऐक्ट में वांछित, 25000रू0 ईनामिया एवं थाना रामपुर कारखाना का चिह्नित टॉप-10 अभियुक्त 01.नासिर अंसारी पुत्र असरफ अंसारी सा0 देवरिया रेलवे स्टेशन वार्ड 23 थाना कोतवाली, देवरिया को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक अदद देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➡थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.रामसकल पटेल पुत्र दुब्बर पटेल सा0 सकरापार खुर्द थाना रा0का0, देवरिया** को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 10 लीटर नाजायज शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना लार पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त **01.कमल पुत्र करन सिंह सा0 मनोहरपुर थाना जिन्द शहर सदर जनपद जिन्द हरियाणा प्रान्त। 02.अशोक पुत्र धर्मपाल सा0 सुन्दरपुर थाना उपरोक्त। 03.सचिन कुमार पुत्र रजनीश सा0 डी-23-555 ब्लॉक डी अम्बेडकर कालोनी छत्तरपुर साउथ दिल्ली** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद सफेद रंग की बोलेरो नं0 डीएल-3सी, बीएम-2180 से 105 शीशी मैक डार्वेल 375एमएल, 308 शीशी मैक डार्वेल 180एमएल अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.रायमुनि देवी पत्नी सुनील सा0 वृन्दावन थाना तरकुलवा, देवरिया** गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➡थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त **01.प्रदीप यादव पुत्र उमेश यादव सा0 नोनिया छपर थाना खामपार, देवरिया** को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 30 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03. थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध कट्टा 303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 05.09.2020 को थानाध्यक्ष रुद्रपुर के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर ग्राम कृतपुरा से एक व्यक्ति को 01 अदद अवैध कट्टा 303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.सिकन्दर यादव पुत्र त्रिभुवन यादव सा0 छपरा खुर्द थाना रुद्रपुर, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद अवैध कट्टा 303 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

04. थाना गौरी बाजार पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध कट्टा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 05.09.2020 को थानाध्यक्ष गौरी बाजार के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र मे भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर बढया तिवारी से एक व्यक्ति को 01 अदद अवैध कट्टा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस

के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.मोनू गौतम पुत्र स्व0 सिंहासन प्रसाद सा0 बढया तिवारी थाना गौरीबाजार, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद अवैध कट्टा 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

05. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 05.09.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 24 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

06. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 05.09.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 384 वाहनों से 201600 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

